FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर

नानूराम **बनाम** **बृजेश कुमार, RAS, (SDO रींगस) आदि**

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण (मुंतकिली) **मुकदमा नम्बर – 24/2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2026	प्रार्थी **नानूराम** की ओर से वकील **श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी** ने उपस्थित होकर यह **प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण (मुंतकिली) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस में विचाराधीन राजस्व वाद बी.टी. नं. 406/2023 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र (टी.आई.) बी.टी. नं. 243/2023 बउनवानी नानूराम बनाम बिमला देवी आदि को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु** पेश किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। पत्रावली को दर्ज किये जाने के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मुतकिली में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि, प्रार्थी की ओर से कृषि भूमि खसरा नम्बर 239/3 रकबा 5.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240/3 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.38 हैक्टेयर तन ग्राम परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर वर्तमान तहसील रींगस जिला सीकर के बाबत अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 के विरूद्ध एक वाद अं.धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट तथा आवेदन अं.धारा 212 आर.टी.एक्ट उनवानी नानूराम बनाम बिमला देवी आदि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किये गये जो 23.09.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस वाद संख्या 406/2023 एवं प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 संख्या 243/2023 विचाराधीन है। टी.आई. आवेदन पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किये गये थे, जो आज दिन भी वैध व प्रभावी है। प्रार्थी एक ग्रामीण परिवेश का भोला भाला व्यक्ति है, व अप्रार्थी संख्या 2 व 5 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति हैं। जिनका बड़े लोगो के साथ उठना बैठना होता रहता है। दिनांक 05.04.2026 को अप्रार्थी संख्या 2 व 5 ने गांव में लोगों से कहा कि उपखण्ड अधिकारी रींगस से बातचीत हो गयी है व अगली पेशी पर अपने सभी प्रकरणों का फैसला अपने पक्ष में हो जावेगा। प्रार्थी ने स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 व 5 को अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी रींगस के चैम्बर से बाहर निकलते भी देखा है। जिससे प्रार्थी को पूर्ण भय व आंशका हो गयी है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस के यहां से न्याय नहीं मिलेगा व उपखण्ड अधिकारी रींगस प्रार्थी के विरूद्ध कभी भी दावा व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा में विपरीत आज्ञा पारित कर सकते हैं, जो उक्त प्रकरण में काफी छोटी–छोटी तारीख पेशियां देकर दबाव बना रहे है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण में न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय होते दिखना भी चाहिए। प्रार्थी को पूर्ण भय व आंशका है कि उपखण्ड अधिकारी रींगस से प्रार्थी को न्याय नहीं मिल सकता है। **Contd...**	

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसलिए प्रार्थी की आंशका को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का आवेदन मुंतकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस के यहां विचाराधीन दावा प्रकरण संख्या 406/2023 एवं प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 प्रकरण संख्या 243/2023 बउनवानी नानूराम बनाम बिमला देवी आदि को तलब कर श्रीमानजी स्वयं सुनवायी करें या किसी निष्पक्ष अधिकारी के यहां स्थानान्तरित की जाने की आज्ञा फरमायें। **हमने वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया।** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है कि, प्रश्नगत राजस्व वाद प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में दिनांक 23.09.2014 को दर्ज किया जाकर क्षेत्राधिकार बदल जाने के कारण दिनांक 29.07.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला में स्थानान्तरित कर दिया गया था। उसके बाद पुनः क्षेत्राधिकार बदले जाने पर दिनांक 20.06.2023 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस को प्रकरण स्थानांतरित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस के द्वारा प्रार्थी के वाद को दिनांक 31.05.2024 को अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी के ही रिव्यू आवेदन पर उक्त प्रकरणों को दिनांक 10.06.2024 को पुनः नम्बर पर लिये जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सूनवायी की जा रही है, एवं पक्षकारान को सुनवायी के भी पर्याप्त अवसर दिये जा रहे हैं। प्रश्नगत वाद की आदेशिकाओं से प्रमाणित है कि प्रकरण काफी अर्सा पुराना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवायी के समुचित एवं पर्याप्त अवसर भी दिये गये हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण पत्रावली की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त विवादित वाद पत्रावली में ऐसी कोई विपरीत कार्यवाही किया जाना जाहिर नहीं आया है जिससे कि पत्रावली पर की गई कार्यवाही विधि के विरूद्ध प्रतीत हो। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नगत वाद की पत्रावली में की गई कार्यवाही नियमानुसार अथवा विधिक रूप से नहीं किया जाना प्रतीत होता हो। पत्रावली को दर्ज किये जाने के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया है, जिसके दौरान भी वकील प्रार्थी द्वारा अपने मुंतकिली आवेदन एवं पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों के समर्थन में कोई साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार मात्र कयासों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों को यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। **Contd...**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलम्बित किये जाने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है। फिर भी पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। चूंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान एवं राजस्थान सरकार के द्वारा भी समय–समय पर परिपत्र एवं दिशा निर्देश जारी किये जाकर राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण मुख्यतः पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत निर्देश दिये जा रहे हैं। उक्त निर्देशों की पालना में राजस्व न्यायालयों में पदस्थापित पीठासीन अधिकारियों द्वारा विचाराधीन राजस्व प्रकरणों में नियमित सुनवायी की जाकर नियमानुसार प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन काफी बार ऐसा देखने में आया है कि पक्षकारान मात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न्याय की भावना के विरूद्ध प्रकरणों को लम्बित किये जाने के उद्देश्य से सक्षम न्यायालयों में मुंतकिली आवेदन पेश कर प्रकरणों के निस्तारण को विलम्बित किये जाने का प्रयास करते हैं, जो कि न्याय की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार के कृत्यों को यह न्यायालय बिल्कुल न्यायोचित नहीं मानता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस आवेदन को आगे चलाये जाना उचित एवं न्यायोचित नहीं मानता है। प्रार्थी नानूराम की ओर से जरिये वकील प्रस्तुत यह **प्रार्थना पत्र मुन्तकिली दर्ज कर खारिज किया जाता है।** पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रश्नगतत राजस्व वाद प्रकरण संख्या 406/2023 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 243/2023 अं.धा. 212 RTA बउनवानी नानूराम बनाम बिमला देवी आदि में उभयपक्षकारान को दस्तावेज एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (आशीष मोदी) जिला कलेक्टर, सीकर (आशीष मोदी) जिला कलेक्टर, सीकर	

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)